

23.04-25

10/7
पत्रावली पेश हुई । वकील शर्मा की बयान पर मनन करने से पत्रावली का अलोकन करने पर शर्मा का प्रार्थना पर स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया है। विस्तृत निर्णय प्रथम से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बंद तरीके तकमिल होकर शामिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/01
23.04.25
(किरण पाल)
R.A.S.